



म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551967, 2551756
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

क्र./मुख्या/उद्यान/ संकर सब्जी बीज/2024-25/ 1086

दिनांक - 03/7/24

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय - वर्ष 2023-24 एवं आगे की अवधि के लिए संकर सब्जी बीजों की प्रसारित की गई दरों की वैद्यता अवधि बढ़ाने बाबत ।

संदर्भ - निगम द्वारा जारी दर प्रसारण पत्र क्रं. 4175 दिनांक 28.03.2024 (प्रसारण क्रं.-01) एवं 758 दिनांक 10.06.2024 (प्रसारण क्रं.-02) एवं 994 दिनांक 28.06.2024 (प्रसारण क्रं.-03)

निगम द्वारा वर्ष 2023-24 एवं आगे की अवधि के लिए संकर सब्जी बीजों के प्रदाय हेतु संदर्भित पत्रों से दरों का प्रसारण किया गया था। आर.सी.ओ. की शर्त क्रं. 10 बिन्दु (स) के अनुसार दरें अनुमोदित होने के उपरांत 03 माह अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिए वैद्य हैं ।

विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगम व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए एवं नवीन आरसीओ में लगने वाले समय के कारण पूर्व प्रसारित दरों की वैद्यता अवधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती हैं :-

क्रं.	विवरण	निगम दर प्रसारण पत्र क्रं./दिनांक	वैद्यता अवधि में प्रस्तावित वृद्धि
1.	संकर सब्जी बीज (Hybrid Vegetable Seeds)	4175 / 28.03.2024 (प्रसारण क्रं -1)	दि० 27.09.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक
2.	संकर सब्जी बीज (Hybrid Vegetable Seeds)	758 / 10.06.2024 (प्रसारण क्रं -2)	दि० 27.09.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक
3.	संकर सब्जी बीज (Hybrid Vegetable Seeds)	994 / 28.06.2024 (प्रसारण क्रं -3)	दि० 27.09.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक

उपरोक्तानुसार संकर सब्जी बीजों की दरें दिनांक 27.09.2024 अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिये वृद्धि की जाती है, सामग्री प्रदाय से संबंधित सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी ।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

प्रतिलिपि :-

1087
03-7-24

1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल ।
4. आयुक्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल ।
5. संयुक्त/उप/सहायक संचालक उद्यान (समस्त), उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण की ओर सूचनार्थ ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित उत्पादक/प्रदायक मैसर्स..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(Signature)

(Signature)
प्रबंधक (उद्यान)